Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

UTTARAKHAND

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail- misc.pwduk@gmail.com

पत्रांक– 641 /165 सा0प्र0/2024

दिनांक– 09/ 08/2024

कार्यालय ज्ञाप

पी0एम0जी0एस0वाई0 से हस्तान्तरित होने वाले मार्गों को लोक निर्माण विभाग द्वारा (Take Over) किए जाने हेतु निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की जाती है।

1. मार्गों की चौड़ाई एवं ग्रेड पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानको के अनुरूप होना चाहिए। लेपित सतह की चौड़ाई लिंक मार्गों हेतु न्यूनतम 3.0 मीटर तथा अन्य मार्गो हेतु न्यूनतम 3.75 मीटर होनी चाहिए।
2. मार्ग में ग्रेड पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। अधिकतम 100 मीटर की लम्बाई में अधिकतम ढाल 10% तक ही अनुमन्य है। ऐसे दो भागों के मध्य कम से कम 100 मीटर के भाग में मार्ग का ढाल 5% (Mountainous terrain)/6% (Steep terrain) होना आवश्यक है।
3. मार्ग मे स्थित हेयरपिन बैण्डों का रेडियस एवं ढाल मानकों के अनुरूप होना चाहिए। न्यूनतम रेडियस 12 मीटर तथा अनुमन्य ढाल 0.5% से 2.5% होना आवश्यक है।
4. दीवारों एवं क्रास ड्रैनेज की स्थिति सन्तोषजनक होनी चाहिए।
5. मार्ग पर स्थित नालियॉ एवं स्कपर ड्रेनेज हेतु साफ होने चाहिए।
6. मार्ग के किनारों पर स्थित पट्री पर झाड़ियों की सफाई होनी चाहिए।
7. क्षतिग्रस्त पैरापिट, क्रैश बैरियर एवं रोड़ साइनेज की मरम्मत का कार्य पूर्ण होना चाहिए।
8. मार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त भूमि, फसल, वृक्षों भवन एवं गूल आदि का भुगतान लम्बित न हो।
9. मार्ग निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति एवं वन भूमि हस्तान्तरण पूर्ण होना चाहिए। नाप भूमि का प्रतिकर का वितरण शत–प्रतिशत पूर्ण हो तथा पत्रावली/अभिलेख उपलबध कराये जाने होगें। वन भूमि की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए।
10. मार्ग से सम्बन्धित डी0पी0आर0 एवं कम्पलीशन प्लान हस्तान्तरित करना आवश्यक होगा।
11. क्षतिग्रस्त लेपित सतह एवं क्रस्ट मरम्मत का कार्य पूर्ण होना चाहिए।
12. मार्ग पर किए गए कार्यों की गुणवत्ता सन्तोषजनक होनी चाहिए तथा मार्ग पर गुणवत्ता हेतु किए गए आवश्यक परीक्षण मानकों के अनुरूप होने चाहिए। परीक्षण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(इं0 दीपक कुमार यादव)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि–सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

2. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, पौड़ी / देहरादून / अल्मोड़ा / हल्द्वानी।
3. मुख्य अभियन्ता रा०मा० / ए०डी०बी० / बर्ल्ड बैंक / पी०एम०जी०एस०वाई, लो०नि०वि० देहरादून / हल्द्वानी / अल्मोड़ा।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ...वॉ वृत्त लो०नि०वि०, ... ।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय / निर्माण / अस्थाई / रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, ... ।
6. समस्त वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून, को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि० देहरादून।
9. गार्ड पत्रावली।

8/8/24

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

09 Sa.pra.